भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5078
उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2025

इंटरनेट सेवा प्रदाता

5078. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आसूचना ब्यूरो ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को उपभोक्ताओं की कम से कम छह महीने तक के सभी ऑनलाइन कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखने का निदेश देने को कहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) इस संबंध में सरकार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या ऐसे रिकॉर्ड रखने से ग्राहक की निजता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) आसूचना ब्यूरो से ऐसा कोई अनुरोध विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****